2011:सीजीएचसी:10653

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

माननीय न्यायमूर्ति प्रितिंकर दिवाकर

दण्डिक अपील क्रमांक 281/1995

अपीलार्थी : छुट्टन

बनाम

प्रत्यर्थी : मध्य प्रदेश राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित :

अपीलार्थी की ओर से : श्रीमती इंदिरा त्रिपाठी, अधिवक्ता ।

राज्य की ओर से : श्री प्रवीण दास, उप शासकीय अधिवक्ता ।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के तहत दण्डिक अपील।

निर्णय

(आज दिनांक 03.02.2011 को दिया गया)

1. यह अपील रायपुर के तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र विचारण संख्या 430 / 92 में दिनांक 03.02.1995 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसमें अभियुक्त / अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और 324 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और उसे धारा 307 के तहत दो वर्ष और धारा 324 के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी । दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी ।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 06.10.1992 को लगभग रात 8 बजे, पीड़ित कलाकुंज सोनी (अ.सा.-4) द्वारा देहाती नालिशी (प्रदर्श पी-3) दर्ज कराई गई, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसी दिन लगभग शाम 7 बजे, आरोपी / अपीलार्थी छुट्टन और दोषमुक्त किए गए आरोपी जुगनू ने उस पर, पनालाल (अ.सा.-2), अशोक कुमार (अ.सा.-3) और नवीन मारपाल (अ.सा.-5) पर हमला किया । इसी देहाती नालिशी के आधार पर, दिनांक 06.10.1992 को ही प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-5 को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 / 34 के तहत दोनों आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया गया । अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि दिनांक 6 अक्टूबर 1992 को आरोपी व्यक्तियों और पीड़ित पक्ष के बीच किसी विवाद के परिणामस्वरूप आरोपी व्यक्तियों ने चाकू से चार व्यक्तियों पर हमला किया । जांच के बाद, दिनांक 22 अक्टूबर 1992 को भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 324 और 323 के साथ धारा 34 के तहत चालान दाखिल किया गया । हालांकि, विचारण न्यायालय ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और 324 के साथ धारा 34 के तहत आरोप विरचित किए ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियुक्तों को दोषी साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में 14 गवाहों का परीक्षण किया है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्तों के बयान भी दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया और अपनी निर्दोषता तथा मामले में झूठे फंसाए जाने का दावा किया ।

4. पक्षकारों की बात सुनने के बाद, विचारण न्यायालय ने सह-आरोपी जुगनू को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और 324 के साथ धारा 34 के तहत अपराध से दोषमुक्त कर दिया, लेकिन आरोपी / अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और 324 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और सजा सुनाई ।

5. अपीलार्थी की विद्वान अधिवक्ता श्रीमती त्रिपाठी का तर्क है कि चूंकि समान साक्ष्यों के आधार पर विचारण न्यायालय ने सह-आरोपी जुगनू को दोषमुक्त कर दिया है, इसलिए वर्तमान अपीलार्थी को भी दोषमुक्त कर दिया जाना चाहिए था । उनका कहना है कि यद्यपि पीड़िता आरोपी / अपीलार्थी को पहले से नहीं जानती थी, फिर भी उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है । उनका कहना है कि गवाहों ने भी स्वीकार किया है कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें अपीलार्थी का नाम बताया था । उनका कहना है कि घटना अंधेरी रात में हुई थी, इसलिए पहचान का प्रश्न ही नहीं उठता । यह भी तर्क दिया गया है कि घायल और अन्य गवाहों ने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया है कि किस आरोपी द्वारा कौन सी चोट पहुंचाई गई है, इसलिए सारा दोष केवल आरोपी / अपीलार्थी पर नहीं डाला जा सकता । अंत में, यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत अपराध बनता है, न कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत । उनका निवेदन है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी लगभग तीन महीने और 18 दिन जेल में बिता चुका है, उसकी सजा को उसके द्वारा भुगती गई अवधि तक कम कर दिया जाए ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. दूसरी ओर, आक्षेपित फैसले का समर्थन करते हुए, राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री दास ने तर्क दिया है कि दोनों आरोपियों को अलग-अलग भूमिका सौंपी गई है और चूंकि न्यायालय में दिए गए बयानों में अपीलार्थी के खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं, इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया जाना उचित है । उन्होंने आगे कहा कि चूंकि गवाहों ने अपीलार्थी के खिलाफ स्पष्ट रूप से बयान दिया है और उसे एक विशिष्ट भूमिका सौंपी है, पीड़ितों, विशेष रूप से नवीन हरपाल (अ.सा.-5) को लगी चोटों की प्रकृति को देखते हुए, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत आरोपी / अपीलार्थी को दोषी ठहराना पूरी तरह से उचित है ।

7. मैंने पक्षकारों के अधिवक्ताओं के तर्क को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया, जिसमें आक्षेपित निर्णय भी शामिल है ।

8. मधुकर राव धवरे (अ.सा.-1), जो प्रदर्श पी-1 और पी-2 के गवाह हैं, जिनके द्वारा पीड़ितों के कुछ कपड़े जब्त किए गए थे, ने अभियोजन पक्ष के मामले का विधिवत समर्थन किया है । पनालाल (अ.सा.-2), जो घायल गवाहों में से एक हैं, ने अपने न्यायालय के बयान में कहा है कि घटना वाले दिन जब वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ दशहरा उत्सव देखकर लौट रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में कुछ शोर सुना और अपने परिवार के सदस्यों को घर जाने के लिए कहा । इसके बाद, वह घटनास्थल की ओर बढ़े, जहां उन्होंने आरोपियों को अपने मोहल्ले के 2-3 लोगों पर हमला करते देखा और जब उन्होंने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपी / अपीलार्थी ने उन्हें पीछे से चाकू से वार किया । अभियुक्तों ने नवीन हरपाल, कलाकुंज सोनी और अशोक पर भी हमला किया था और उस समय अपीलार्थी के हाथ में चाकू था और अभियुक्त जुगनू भी सक्रिय रूप से इसमें शामिल था । प्रतिपरीक्षण में उसने दोहराया है कि अभियुक्त / अपीलार्थी ने ही उसे चाकू से वार किया था और चोट लगने के कारण वह बेहोश हो गया था और ऑपरेशन के 3-4 घंटे बाद उसे होश आया । प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया कि कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनकी जानकारी उसने केस डायरी में बयान देते समय पुलिस को दी थी और यदि उन्हें दर्ज नहीं किया गया है, तो वह इसका कारण नहीं बता सकता । उन्होंने स्पष्ट किया है कि पुलिस के समक्ष उन्होंने यह बात बताई थी कि उन पर दोनों आरोपियों ने हमला किया था, लेकिन वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि उन पर हमला आरोपी / अपीलार्थी ने किया था । उन्होंने आगे स्पष्ट किया है कि चूंकि उन्हें दोषमुक्त किए गए आरोपी जुगनू का नाम नहीं पता था, इसलिए उन्होंने उसका

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उल्लेख नहीं किया । वे स्वीकार करते हैं कि घटना के समय अंधेरा था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि इतना अंधेरा नहीं था कि दृश्यता प्रभावित हो । अशोक कुमार (अ.सा.-3) ने अपने बयान में कहा है कि घटना वाले दिन जब वे अपने दोस्तों के साथ हाई स्कूल से लौट रहे थे, तो नशे की हालत में उनकी ओर आ रहे आरोपियों ने उनसे धक्का-मुक्की की और गालियां देना शुरू कर दिया । इसके बाद, आरोपी / अपीलार्थी छुट्टन ने चाकू निकाला और उनकी दाहिनी कोहनी पर वार किया । इस गवाह के अनुसार, अपीलार्थी ने अपने साथियों कलाकुंज (अ.सा.-4), नवीन (अ.सा.-5) और लच्छू पर भी हमला किया था । उसकी प्रतिपरीक्षण के कंडिका 4 और 6 से पता चलता है कि उसके अदालत में दिए गए बयान और उसकी केस डायरी में दिए गए बयान (प्रदर्श डी-2) में कुछ विरोधाभास हैं, लेकिन इसके आधार पर उसके न्यायालय में दिए गए पूरे बयान पर अविश्वास नहीं किया जा सकता । कलाकुंज सोनी (अ.सा.-4) ने यह भी बताया है कि घटना वाले दिन, आरोपी / अपीलार्थी और दोषमुक्त हुए आरोपी की अशोक (अ.सा.-3) से टक्कर हो गई, जिसके कारण उनके बीच कुछ हाथापाई हुई । इसके बाद, अपीलार्थी छुट्टन ने चाकू निकाला और उस पर, नवीन और अशोक पर हमला करना शुरू कर दिया और जब पनालाल बीच-बचाव करने आया, तो अपीलार्थी ने उस पर भी हमला कर दिया । प्रतिपरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि अंधेरा होने के कारण वे यह नहीं बता सकते कि पहले हमला किसने किया था । उन्होंने यह भी कहा कि हमले के बाद भी वे पूरी तरह होश में थे । घटना के बाद वे पहले रिक्शा लेकर पुलिस थाना गए और फिर अस्पताल गए जहाँ उनका ऑपरेशन हुआ । उन्होंने यह स्वीकार किया कि घटना से पहले वे आरोपियों से परिचित नहीं थे और उनके नाम पुलिस ने ही बताए थे । यदि इस गवाह के शुरुआती कंडिका पर गौर किया जाए, तो न्यायालय में उन्होंने आरोपियों की स्पष्ट पहचान की है। उन्होंने दोहराया है कि आरोपी / अपीलार्थी ने ही उन पर चाकू से वार किया था । उनकी प्रतिपरीक्षण के छठे कंडिका में कुछ विरोधाभास और लोप

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रतीत होती हैं, लेकिन वे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं । नवीन हरपाल (अ.सा.-5) ने न्यायालय में आरोपियों की पहचान करने के बाद बताया कि घटना वाले दिन, आरोपियों ने पहले उनसे हाथापाई की और उन्हें और उनके दोस्तों को गाली देना शुरू कर दिया । इसके बाद आरोपी / अपीलार्थी छुट्टन ने उन पर, कलाकुंज और पनालाल पर चाकू से वार किया । उन्होंने बताया कि पेट और सीने पर लगी चोटों के कारण वे बेहोश हो गए थे । उन्होंने स्वीकार किया कि रात अंधेरी थी, लेकिन उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया कि अंधेरे के कारण आरोपियों ने उनसे हाथापाई की । उनकी प्रतिपरीक्षण के तीसरे कंडिका में कुछ विरोधाभास और लोप दिखाई देती हैं, लेकिन वे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं । वह स्वीकार करता है कि वह आरोपियों को उनके नामों से नहीं जानता था, लेकिन उनके चेहरे से पहचानता था और इस बात से इनकार करता है कि पुलिस अधिकारियों ने उसे आरोपियों के नाम बताए थे । लक्ष्मी नारायण साहू (अ.सा.-6) ने बताया है कि घटना वाले दिन, आरोपी / अपीलार्थी ने नवीन, कलाकुंज और अशोक पर हमला किया, लेकिन पन्नालाल पर तब हमला किया गया जब वह मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा था । प्रतिपरीक्षण में, उसने घटना के बारे में स्पष्टीकरण दिया है और अन्य घायल

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

चश्मदीदों द्वारा दिए गए बयान के लगभग समान बयान दिए हैं । मदन नेताम (अ.सा.-7) वह पुलिस आरक्षक है जो देहाती नालिसी, प्रदर्श पी-3 को सिविल लाइन पुलिस थाना ले गया था ।

डॉ. संजय पांडे (अ.सा.-8), जिन्होंने पनालाल और अशोक की चिकित्सकीय जांच की थी, ने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-6 और पी-7) में उनके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाईं :-प्रदर्श पी-6 - 1) बाईं पसली के नीचे 3 x 1 सेमी आकार के चाकू के घाव ।

2) चेहरे के दाहिनी ओर 1 x 1 सेमी आकार का फटा हुआ घाव ।

प्रदर्श पी-7 - दाहिने हाथ के पीछे 3 x 2 सेमी आकार का कटा हुआ घाव ।

उनके अनुसार, पनालाल को लगी पहली चोट धारदार हथियार से लगी थी, जबकि दूसरी चोट कुंद वस्तु से लगी थी । पहली चोट की प्रकृति के बारे में उन्होंने कहा कि इस पर राय ऑपरेशन करने वाले सर्जन ही दे सकते हैं, जबकि दूसरी चोट मामूली थी । अशोक को लगी चोटों के बारे में उन्होंने कहा कि वे भी मामूली थीं ।

आर. एल. तिवारी (अ.सा.-9) उप निरीक्षक हैं जिन्होंने जांच का कुछ हिस्सा किया था । हरिराम वर्मा (अ.सा.-10), मुखय आरक्षक, घायल नवीन मारपाल और कलाकुंज को चिकित्सा जांच के लिए ले गए थे । पवन कुमार (अ.सा.-11) घायल पनालाल को चिकित्सा जांच के लिए ले गए थे । आर. बी. एस. (अ.सा.-12) - जांच अधिकारी ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है ।

डॉ. प्रदीप अग्रवाल (अ.सा.-13) सहायक सर्जन हैं और उनकी रिपोर्ट पी-10ए और पी-11ए हैं । उनके अनुसार, पनालाल को लगी चोट शरीर के किसी मार्मिक अंग पर नहीं थी और मामूली थी, जबकि नवीन हरपाल (अ.सा.-5) की छाती पर लगी चोट शरीर के मार्मिक अंग पर थी और खतरनाक थी । उनके अनुसार, यदि तत्काल उपचार न दिया जाता, तो मरीज की मृत्यु हो सकती थी । नवीन हरपाल के पेट पर लगी अन्य चोट के संबंध में, उन्होंने इसे मामूली बताया है । उनकी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उनकी छाती की चोट से हवा के बुलबुले निकल रहे थे । डॉ. के. गोपीनाथ (अ.सा.-14) ने नवीन हरपाल और कलाकुंज सोनी की चिकित्सकीय जांच की और अपनी रिपोर्ट क्रमशः प्रदर्श पी-8ए और पी-9ए प्रस्तुत की । उनके अनुसार, उन्हें लगी चोटें धारदार हथियार से लगी थीं ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. साक्ष्यों की बारीकी से जांच करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि घटना वाले दिन, आरोपी / अपीलार्थी ने पनालाल (अ.सा.-2), अशोक कुमार (अ.सा.-3), कलाकुंज सोनी (अ.सा.-4) और नवीन हरपाल (अ.सा.-5) पर चाकू से वार किया और उन्हें घायल कर दिया । इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी / अपीलार्थी वर्तमान अपराध में शामिल नहीं है । गवाहों के बयानों में मामूली विरोधाभास और चूक का कोई महत्व नहीं है क्योंकि यदि साक्ष्य

को समग्र रूप से देखा जाए, तो सभी गवाहों ने एक स्वर में कहा है कि आरोपी / अपीलार्थी ने ही इन चारों व्यक्तियों पर चाकू से हमला किया था । यहां तक कि घायल व्यक्तियों के साथ मौजूद लक्ष्मी नारायण साहू (अ.सा.-6) ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है ।

श्रीमती त्रिपाठी के इस तर्क में मुझे कोई दम नहीं दिखता कि चूंकि सह-आरोपी जुगनू को समानता के आधार पर दोषमुक्त कर दिया गया है, इसलिए अपीलार्थी को भी दोषमुक्त कर दिया जाना चाहिए । दोनों आरोपियों की संलिप्तता के संबंध में साक्ष्य भिन्न हैं और अपीलार्थी पर चाकू से चोट पहुंचाने के विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं, इसलिए अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और 324 के तहत दोषी ठहराया जाना चाहिए । नवीन हरपाल को लगी चोट की प्रकृति को देखते हुए और डॉ. प्रदीप अग्रवाल (अ.सा.-13) की रिपोर्ट (प्रदर्श पी-11ए) के आधार पर, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत आरोपी / अपीलार्थी को दोषी ठहराना उचित है । श्रीमती त्रिपाठी के इस तर्क में भी मुझे कोई दम नहीं दिखता कि चूंकि अपीलार्थी पहले ही लगभग तीन महीने और 18 दिन जेल में बिता चुका है, इसलिए उसकी सजा को घटाकर उतनी ही अवधि तक सीमित कर दिया जाए जितनी उसने पहले ही भुगत ली है । इस संबंध में, चूंकि विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दो साल और धारा 324 के तहत एक साल की कैद की सजा सुनाते हुए पहले ही नरम रुख अपनाया है, इसलिए इस न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में, इस न्यायालय का मत है कि अभियुक्त / अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और 324 के तहत दोषी ठहराया जाना न्यायसंगत और उचित है तथा इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । परिणामस्वरूप, अपील में

कोई सार न होने के कारण इसे खारिज किया जाना चाहिए और इसे इसी प्रकार खारिज किया जाता है ।

सही /-

प्रितिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By MS. SAKSHI BALI, ADV.